

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार

व्यवहार वाद क्रमांक 45ए/2015

प्रस्तुति दिनांक-15.09.2014

1- रमेश पिता पुन्नूलाल राठौर +6 अन्य ----- **वादीगण ।**

-:: बनाम ::-

1- श्रीमती रिमताबाई + 20 अन्य ----- **प्रतिवादीगण ।**

-:: आदेश ::-

(आज दिनांक 06/10/2017 को घोषित)

01- इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जो आई.ए.नंबर-4 का है, का निराकरण किया जा रहा है।

02- प्रकरण में उभय पक्षकारों की संख्या अधिक है ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारों के प्रथम पक्षकार का नाम लेख किया गया है।

03- वादीगण के द्वारा एक दावा वास्ते अंश की घोषणा, व्यादेश एवं आधिपत्य बाबत मौजा बालाघाट, प.ह.नं. 13/2, रा.नि.मं. बालाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 239/1क में से रकबा 0.28 एकड़, खसरा नंबर 239/1 में से रकबा 0.70 एकड़, खसरा नंबर 239/2 में से रकबा 0.38 एकड़ एवं खसरा नंबर 242/43 में से रकबा 0.07 एकड़ के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति अविभाजित संयुक्त कब्जे एवं मालिकी की है। उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 विक्रय करने, अफरा-तफरी करने हेतु प्रयासरत् है। ऐसी स्थिति में प्रकरण चलने के दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 को संयुक्त खाते की भूमि में से मनमाने तौर पर भूमि का हस्तांतरण किसी अन्य के पक्ष में न किए जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है, अपूर्ण्य क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में है। अगर प्रकरण चलने के दौरान भूमि का अंतरण प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा मनमाने तरीके से

किया जाता है तो अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न होगी, निर्माण कार्य करने से भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होगी ऐसी स्थिति में प्रकरण के निराकरण तक अंतरित अस्थाई व्यादेश प्रभावी किए जाने का निवेदन किया गया है।

04— अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि को संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पत्ति होने से अस्वीकार किया गया है। ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में नहीं है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतिरिक्त कथन में बताया गया है कि वादीगण के पिता पुन्नूलाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय की जा चुकी है अब जो शेष भूमि बची है उसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 के पति टेकनलाल का हिस्सा ही बचा है। प्रकरण में वादीगण के द्वारा जो आवेदन पेश किया गया है वह आवेदन सारहीन एवं बनावटी होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

05— प्रकरण में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

- 1— क्या प्रथम दृष्टया वादीगण का वादी सबल एवं सारवान है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन ?
- 3— क्या अपूर्णीय क्षति ?

—:: विवेचन एवं निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण :-

06— वादीगण की ओर से तर्क के दौरान ऐसा निवेदन किया गया है कि वादीग्रस्त भूमि सम्मिलित खाते की है अगर वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-1 हस्तांतरण कर देता है तो उससे वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी और मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के निराकरण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी की जावे कि प्रतिवादी क्रमांक-1 वादग्रस्त भूमि का अंतरण किसी अन्य के पक्ष में न कर सके।

07— प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया है और बताया गया है कि वास्तव में वादीगण के पिता पुन्नूलाल ने अपना हिस्सा बेच दिया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं है। रास्ते की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन औचित्य-हीन एवं सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

08— प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण ने दिनांक 15.9.14 को वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में अंश की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु दावा पेश किया है। प्रकरण में वादीगण की ओर से 20 रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिनके मुताबिक विक्रेता बुधराम, विक्रेता फेकनलाल, पुन्नूसाव वल्द मनोहर के द्वारा विक्रय पत्र विभिन्न लोगों के पक्ष में निष्पादित किए जा चुके हैं। खसरा पांचसाला वर्ष 1994-95 से 2002-03 तक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिनमें से खसरा नंबर 239/1ग एवं 1घ रकबा 0.344 हेक्टेयर ढलकराम, भागरता, पार्वती, राजेन्द्र, फेकन, पुन्नूसाव का नाम है। खसरा नंबर 239/2ख रकबा 0.078 में भी समरूप प्रविष्टि है। खसरा नंबर 239/1ग एवं 1घ/1 रकबा 0.107 फेकन एवं पुन्नूसाव के नाम पर एवं खसरा नंबर 329/2ख रकबा 0.078 हेक्टेयर फेकन एवं पुन्नूसाव के नाम पर दर्ज है। संशोधित प्रविष्टि में फेकन की मृत्यु उपरान्त रिमन्ताबाई का नाम दर्ज होने का उल्लेख है। वर्तमान खसरा 2012-13 की नकल प्रस्तुत की गई है जिसमें रिमन्ता पत्नी फेकनलाल एवं रूपाबाई पति पुन्नूलाल, रमेश, ओमप्रकाश, अशोक, अमित पिता पुन्नूसाव, उर्मिला एवं शांतिबाई पिता पुन्नूलाल के नाम पर खसरा नंबर 239/1ग/1 शामिल नंबर 239/1घ/1 दोनों का संयुक्त रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 239/2ख/1 रकबा 0.010 हेक्टेयर दर्ज है।

09— प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1988 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके मुताबिक इन्दू देवी वर्मा को ढलकराम, फेकनलाल एवं पुन्नूसाव ने भूमि हस्तांतरित की। भू अधिकारी एवं ऋण पुस्तिका, नामांतरण सहमति पत्र, संशोधन पंजी की नकल एवं अधिवक्ता के द्वारा भेजा गया नोटिस दिनांक 16.1.2014 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

10— प्रकरण में प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के खसरा की नकल में रिमन्ता पत्नी फेकनलाल एवं रूपाबाई पति पुन्नूलाल, रमेश, ओमप्रकाश, अशोक, अमित पिता

पुन्नूसाव, उर्मिला एवं शांतिबाई पिता पुन्नूलाल के नाम पर खसरा नंबर 239/1ग/1 शामिल नंबर 239/1घ/1 दोनों का संयुक्त रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 239/2ख/1 रकबा 0.010 हेक्टेयर दर्ज है। उभय पक्षकारों के द्वारा भूमि समय-समय पर विभिन्न लोगों को विक्रय की गई इस संबंध में भी विक्रय पत्रों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है कि सम्मिलित खाते में दर्ज नाम में से किस व्यक्ति का स्वत्व भूमियों पर शेष है या नहीं। स्वत्व के गूढ़ प्रश्न का निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य के आधार पर संभव है। जहाँ राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि जो खसरा वर्ष 2012-13 में दर्ज है उतनी भूमि में से अब शेष भूमि को विक्रय करने का या हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है इसका निर्धारण भी इस स्तर पर बिना साक्ष्य लिए कर पाना संभव नहीं है। इस तरह से जहाँ वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान होना पाया जाता है वहीं प्रतिवादीगण का पक्ष भी सारवान होना पाया जाता है।

11— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है साथ ही प्रतिवादी पक्ष का बचाव भी सारवान होना पाया गया है। इसी मुताबिक विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण किया गया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

12— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में जो खसरा वर्ष 2012-13 में दर्ज है वह भूमि सम्मिलित खाते की है इस स्तर पर पक्षकारों के स्वत्व एवं हिस्से का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जहाँ वादीगण इस दावे के माध्यम से अपने अंश की घोषणा कराना चाहते हैं साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जे का अनुतोष चाहते हैं वहीं प्रतिवादीगण ने जो जवाबदावा प्रस्तुत किया है उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा एवं हक निहित नहीं है। इस तरह से स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच स्वत्व संबंधी गूढ़ प्रश्न अंतर्ग्रस्त है ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पक्ष मनमाने ढंग से वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा बताते हुए भूमि का कोई विशिष्ट हिस्सा विक्रय कर देता है तो उससे वादों की बाहुल्यता बढ़ेगी साथ ही मौके पर कब्जे को लेकर भी संघर्ष की स्थिति पैदा होगी।

साथ ही उभय पक्षों को अपूर्णीय क्षति होना भी संभावित है। इस तरह से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्षों के मध्य होना पाया जाता है।

13— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी पक्ष का बचाव सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्ष के मध्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0 जो कि आई.ए. नंबर 4 है का निराकरण करते हुए निम्नानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश पर्यन्त तक या प्रकरण के अंतिम निराकरण तक के लिए प्रभावी की जाती है :-

(1)— उभय पक्षकार ग्राम बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर 239/1ग/1 शामिल नंबर 239/1घ/1 दोनों का संयुक्त रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 239/2ख/1 रकबा 0.010 हेक्टेयर जो कि भूमि राजस्व अभिलेखों में रिमन्ताबाई पति फेकनलाल, रूपा पति पुन्नूलाल, रमेश, ओमप्रकाश, अशोक, अमित पिता पुन्नूलाल, उर्मिला, शांतिबाई पिता पुन्नूलाल के नाम पर दर्ज है, उसका विक्रय या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरण न करें। उक्त सम्पत्ति पर कोई नवीन भाग उत्पन्न न करें।

(2)— उक्ताशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रभाव प्रकरण में गुणदोष के आधार पर पारित होने वाले निर्णय पर नहीं होगा। उभय पक्षकार आदेश का पालन करेंगे इस बात के लिए 15 दिवस के अंदर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का बंधपत्र संयुक्तः वादीगण एवं संयुक्तः प्रतिवादी पक्ष जिनका सम्मिलित खाते में नाम है, वे प्रस्तुत करें।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(रामजी लाल ताम्रकार)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(रामजी लाल ताम्रकार)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
बालाघाट (म.प्र.)